न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 97/2019

1 छोटूसिंह पुत्र बिड़दासिंह जाति दरोगा निवासी फतेहपुर भोमियान तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भीमसिंह पुत्र बिड़दासिंह।
2 बजरंग सिंह पुत्र बिड़दासिंह।
3 किशनसिंह फौत।
3/1 दुर्गा कंवर पत्नी किशनसिंह।
3/2 नौरंगसिंह पुत्र किशनसिंह।
3/3 हंसू कंवर पुत्री किशनसिंह।
3/4 मंजू कंवर पुत्री किशनसिंह।
3/5 रूप्पल कंवर पुत्री किशनसिंह।
3/6 ज्योति कंवर पुत्री किशनसिंह।
3/7 अल्का कंवर पुत्री किशनसिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण फतेपुरा भोमियान तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी नवलखा मैन रोड़ इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
4 रामसिंह पुत्र बिशनसिंह।
5 बीरूसिंह पुत्र बिशनसिंह।
6 सुप्यार कंवर पत्नी बिशनसिंह।
7 भंवरी कंवर पुत्री बिशनसिंह।
8 संतोष कंवर पुत्री बिशनसिंह।
9 प्रेम कंवर पुत्री बिशनसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 सवाईसिंह पुत्र कुमसिंह।
11 दशरथ सिंह पुत्र कुमसिंह।
12 भंवरी कंवर पत्नी कुमसिंह।
13 किरण कंवर पुत्री कुमसिंह।
14 सोनू कंवर पत्नी उम्मेद सिंह।
15 भवानी सिंह पुत्र उम्मेद सिंह।
16 नैना कंवर पुत्री उम्मेद सिंह।
17 महिमा कंवर पुत्री उम्मेद सिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण फतेहपुरा भोमियांन तहसील खण्डेला जिला सीकर।
18 उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर।
19 पटवारी हल्का गोकुल का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
20 भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017
मुकदमा नम्बर 151/2014 बउनवानी भीमसिंह बनाम
बिशनसिंह आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट।

अपील संख्या 100/2019

1 छोटूसिंह पुत्र बिड़दासिंह जाति दरोगा निवासी फतेहपुर भोमियान तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 भीमसिंह पुत्र बिड़दासिंह।
2 बजरंग सिंह पुत्र बिड़दासिंह।
3 किशनसिंह फौत।
3/1 दुर्गा कंवर पत्नी किशनसिंह।
3/2 नौरंगसिंह पुत्र किशनसिंह।
3/3 हंसू कंवर पुत्री किशनसिंह।
3/4 मंजू कंवर पुत्री किशनसिंह।
3/5 रूप्पल कंवर पुत्री किशनसिंह।
3/6 ज्योति कंवर पुत्री किशनसिंह।
3/7 अल्का कंवर पुत्री किशनसिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण फतेपुरा भोमियान तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी नवलखा मैन रोड़ इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
4 रामसिंह पुत्र बिशनसिंह।
5 बीरूसिंह पुत्र बिशनसिंह।
6 सुप्यार कंवर पत्नी बिशनसिंह।
7 भंवरी कंवर पुत्री बिशनसिंह।
8 संतोष कंवर पुत्री बिशनसिंह।
9 प्रेम कंवर पुत्री बिशनसिंह।
10 सवाईसिंह पुत्र कुमसिंह।
11 दशरथ सिंह पुत्र कुमसिंह।
12 भंवरी कंवर पत्नी कुमसिंह।
13 किरण कंवर पुत्री कुमसिंह।
14 सोनू कंवर पत्नी उम्मेद सिंह।
15 भवानी सिंह पुत्र उम्मेद सिंह।
16 नैना कंवर पुत्री उम्मेद सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 महिमा कंवर पुत्री उम्मेद सिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण फतेहपुरा भोमियांन तहसील खण्डेला जिला सीकर।
18 उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर।
19 पटवारी हल्का गोकुल का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
20 भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2015
मुकदमा नम्बर 151/2014 बउनवानी भीमसिंह बनाम
बिशनसिंह आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगराम कुडी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 20.09.2022

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 151/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 एवं 28.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विचारण न्यायालय में एक वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 1.03 हैटेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.82 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.18 हैक्टेयर वाके फतेहपुरा भोमियांन तहसील खण्डेला जिला सीकर के संबंध में इन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार है। जो मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है लेकिन काश्त को लेकर मौके पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादीगण की कमजोरी का फायदा उठाकर मनमर्जी से बलपूर्वक चाहे जहां काश्त कर लेते है इसलिए विधिक तकासमा किया जावे। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.09.2015 को निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं तत्पश्चात विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात विभाजन प्रस्ताव पर बिना पक्षकारों को नोटिस जारी किये दिनांक 11.02.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय मे अपीलांट के तामीली नोटिस पर अंकित हस्ताक्षर व अपील मेमो पर अंकित हस्ताक्षर में फर्क है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार किये जाने चाहिए। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया गया हो, ऐसा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विभाजन प्रस्ताव मौके के विरूद्व तैयार किया गया है। मौके पर खसरा नम्बर 95/2 पर अपीलांट आवासीय मकान बनाकर आबाद है फिर भी विभाजन में यह भूमि कुम्भसिंह को दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2017 पेज 299, आर.आर. टी. 2021 पार्ट–1 पेज 469 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील की जाकर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर लोक अदालत की भावना से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसके उपरान्त पटवारी हल्का मौके पर गया है। हक हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। विचारण न्याालय ने बाद सुनवाई अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। 2019 में विवादित भूमि का बेचान किये जाने का नामान्तकरण को रोकने के लिये यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय मे अपीलांट के तामीली नोटिस पर अंकित हस्ताक्षर व अपील मेमो पर अंकित हस्ताक्षर में फर्क है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार किये जाने चाहिए। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अपीलांट का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मौके के विरूद्व तैयार किया गया है। मौके पर खसरा नम्बर 95/2 पर अपीलांट आवासीय मकान बनाकर आबाद है फिर भी विभाजन में यह भूमि कुम्भसिंह को दी गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन प्राथमिक व अन्तिम डिक्री जारी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक व अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में बाद सुनवाई पुन गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भारत सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर